फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

1. अमराराम
2. जेठाराम
3. सोनाराम
4. चम्पालाल

} पिसरान टीकूराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान।

किस्म मुकदमा : 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील संख्या....18..../2023

GCMS No. 2023/...11...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के आदेश दिनांक 17.12.2021 के विरूद्व पेश हुई है। प्रथमतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादग्रस्त भूमि ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का भेलू तहसील कोलायत में खसरा नंबर 146 में 17.3100 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि है। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त निरंतर चला आ रहा है। ग्राम पंचायत भेलू द्वारा ग्राम भेलू–रोहिणा रास्ता खसरा नंबर 146 से खसरा नंबर 788/505 तक चलने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार भू.अ. कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 29.10.2021 को तहसीलदार भू.अ. कोलायत के समक्ष पेश की। तहसीलदार कोलायत ने उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी कोलायत को प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पर आदेश पारित करते हुए दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत अपीलांट्स की भूमि खसरा नंबर 146 में से 0.0600 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलांट्स के नाम ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का भेलू तहसील कोलायत में खसरा नंबर 146 में 17.3100 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि है। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त निरंतर चला आ रहा है। ग्राम पंचायत भेलू द्वारा ग्राम भेलू–रोहिणा रास्ता खसरा नंबर 146 से खसरा नंबर 788/505 तक चलने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू.अ. कोलायत के समक्ष पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 29.10.2021 को रिपोर्ट पेश की। उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने उक्त पर आदेश पारित करते हुए दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत अपीलांट्स की भूमि खसरा नंबर 146 में से 0.0600 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये। तहसीलदार भू.अ. कोलायत ने स्वयं मौके पर जाकर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। मौके पर अपीलांट्स के खसरा नंबर 146 में ग्राम भेलू से ग्राम कोहिणा के लिए सड़क बनी हुई है, जो वर्तमान में आवागमन के लिए चालू है। उक्त सड़के पहले से ही बनी हुई है। ऐसी स्थिति में नया मार्ग स्वीकृत करने की कोई अतिआवश्यकता नहीं होने के बावजूद अपीलांट्स के खेत में से रास्ता स्वीकृत करना विधि विरूद्ध है। उपखण्ड अधिकारी कोलायत का अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को बिना सूचित किये इकतरफा तौर पर पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 251 ए के प्रावधानों की पूर्णतः पालना किये बिना ही गैर मुमकिन रास्ते के आदेश पारित कर दिये, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अवगत कराया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 समस्त कानूनी प्रक्रिया अपनाकर विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को बिना सुने इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में अपीलांट्स को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर